न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 108/2024
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2024/00168

इमामदीन पुत्र श्री सादेखां जाति मुसलमान निवासी गेरसर, बीकानेर।

प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बीकनेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136

भू–राजस्व अधिनियम 1956

अभिभाषक उपस्थितिः–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. पेरोकारराज राज्य के लिए।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः– 23/9/24

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थी उक्त प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के नाम ग्राम गेरसर खाता संख्या नया 58 खसरा नंबर 165 तादादी 4.900 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम ईमामुदीन पुत्र सादेखां अंकित है, जबकि मेरा नाम मेरे अन्य समस्त प्रमाण–पत्रों व कागजात में ईमामदीन पुत्र सादेखां है। मेरा सही नाम ईमामदीन पुत्र सादेखां ही है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम ईमामुदीन पुत्र सादेखां के स्थान पर ईमामदीन पुत्र सादेखां अंकित करने का आदेश फरमावें।

राज्य की ओर से पेरोकारराज उपस्थित। तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के संदर्भ में रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के तहत कथन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में ईमामुदीन पुत्र सादेखां दर्ज है, जबकि प्रार्थी का नाम ईमामदीन पुत्र सादेखां है। प्रार्थी द्वारा बतौर साक्ष्य पहचान पत्र की प्रति पेश की गयी है।

बहस उभयपक्ष सुनी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के कथनानुसार बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी का नाम समस्त दस्तावेजात में ईमामदीन पुत्र सादेखां है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में सहबन प्रार्थी का नाम ईमामुदीन पुत्र सादेखां दर्ज हो गया। अतः निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में नाम ईमामुदीन पुत्र सादेखां के स्थान पर ईमामदीन पुत्र सादेखां दुरुस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के हमराह पहचान–पत्र आधार कार्ड की प्रति एवं अन्य खाते की जमाबंदी पेश की। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात के तहत प्रार्थी का नाम ईमामदीन पुत्र सादेखां दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम गैरसर खाता संख्या नया 58 खसरा नंबर 165 तादादी 4.900 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम ईमामुदीन पुत्र सादेखां दर्ज है। जिसे दुरूस्त करवाने का प्रार्थी हकदार है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम गैरसर खाता संख्या नया 58 खसरा नंबर 165 तादादी 4.900 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम ईमामुदीन पुत्र सादेखां के स्थान पर ईमामदीन पुत्र सादेखां दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/09/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

(कविता गोदारा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर